भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2554

दिनांक 09.12.2014/18 अग्रहायण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

भाषाओं को शामिल करना

†2554. श्री संजय काका पाटीलः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं के नाम क्या हैं;

(ख) आठवीं अनुसूची में अन्य और भाषाएं शामिल करने के लिए सरकार ने क्या मानदंड तय किए हैं;

(ग) संविधान की आठवीं अनुसूची में अन्य और भाषाओं को शामिल करने के संबंध में राज्यों और विभिन्न संगठनों की ओर से प्राप्त प्रस्तावों/अनुरोधों व अभ्यावेदनों का राज्य-वार और भाषा-वार ब्यौरा क्या है और सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त भाषाओं को आठवीं अनुसूची में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है और इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क): संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं:- (1) असमिया, (2) बंगाली (3) गुजराती, (4) हिंदी, (5) कन्नड, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम, (9) मणिपुरी, (10) मराठी, (11) नेपाली, (12) उड़िया, (13) पंजाबी, (14) संस्कृत, (15) सिंधी, (16) तमिल, (17) तेलुगू (18) उर्दू (19) बोडो, (20) संथाली, (21) मैथिली, (22) डोंगरी।

(ख), (ग) और (घ): इस समय संविधान की आठवीं अनुसची में 38 और भाषाओं को शामिल किए जाने की माँग है। ये हैं: (1) अंगिका, (2) बंजारा, (3) बजिका, (4) भोजपुरी, (5) भोटी, (6) भोटिया, (7) बुंदेलखंडी (8) छत्तीसगढ़ी, (9) धतकी, (10) अंग्रेजी, (11) गढ़वाली पहाड़ी (12) गोंडी (13) गुज्जर/गुज्जरी (14) हो, (15) कचाछी, (16) कातमपुरी, (17) कारबी, (18) खासी, (19) कोडवा (कूर्ग) (20) कुक बराक, (21) कुमाउंनी (पहाड़ी), (22) कुरुख, (23) कुर्माली, (24) लेपचा, (25) लिम्बू, (26) मिजो (लूशई), (27) मगही, (28) मुंदारी, (29) नागपुरी, (30) निकोबारी, (31) पहाड़ी (हिमाचली), (32) पाली, (33) राजस्थानी, (34) सम्बलपुरी/कोसली, (35) शौरसेनी (प्राकृत), (36) सिरैकी, (37) तेनियादी, और (तुलू)।

संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने के लिए विषयपरक मानदंडों का कोई स्थापित सेट नहीं है और इसलिए संविधान की आठवीं अनुसूची में और भाषाओं को शामिल करने की माँगों पर विचार करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।